



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125985

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 18952 वर्ष 2026

आशीष बिंद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : ब्रजेश कुमार सोलंकी, प्रांजल केसरवानी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सोलंकी और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. सिंह की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह ज़मानत अर्जी इस अनुरोध के साथ दायर की गई है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 147/2026 धारा 75, 352, 351(2), 115(2), 70(1) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, ज़िला मिर्ज़ापुर में ज़मानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर के अनुसार, आवेदक और सह-आरोपी पर यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया गया है, जबकि पीड़िता ने बाद में, बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में सह-आरोपी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में भी वही आरोप दोहराए हैं, लेकिन बलात्कार के बारे में कोई मेडिकल राय नहीं है और कथित घटना के 2 दिन बाद मेडिकल-लीगल जांच की गई थी। साथ ही, पीड़िता ने माना है कि वह रात में आवेदक से अपने ईयरफोन लेने के लिए घर के पीछे गई थी, जिससे पता चलता है कि आवेदक के साथ उसके करीबी संबंध थे और अगर दोनों के बीच कोई यौन संबंध बना भी था, तो वह पीड़िता की सहमति से ही बना था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 03.04.2026 से जेल में बंद है; अगर उसे ज़मानत मिलती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की अर्जी का ज़ोरदार विरोध किया है और कहा है कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयानों में साफ़ तौर पर कहा है कि आवेदक और सह-आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया।

5. पीड़ित के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, यह आरोप है कि आरोपी और सह-आरोपी ने पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया और उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई; हालाँकि, बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में, पीड़ित ने कहा है कि आरोपी और सह-आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित ने बताया है कि आरोपी ने उसके इयरफोन छीन लिए थे और फ़ोन पर उसे दोपहर 12:00 बजे घर के पीछे आकर इयरफोन ले जाने के लिए कहा था, और पीड़ित अपने इयरफोन लेने वहाँ गई थी। पीड़ित की मेडिको-लीगल रिपोर्ट में बलात्कार होने का कोई संकेत नहीं मिला है और इस पर अंतिम निर्णय अतिरिक्त सबूत मिलने तक टाल दिया गया है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 03.04.2026 से जेल में बंद है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)**

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन सभी 6765)** मामले में ज़मानत देने के संबंध में इस न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उक्त अपराध में शामिल आवेदक **आशीष बिंद** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बॉन्ड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।
10. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और पते के सबूत की जांच करनी चाहिए। न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी जांच करनी चाहिए।
11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजे।
12. 'सुओ मोटो रिट याचिका (सीआरएल.) संख्या 4/2021' जिस पर 31.01.2023 को फैसला हुआ और जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट की गई है, में 'ज़मानत देने की नीतिगत रणनीति' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक कॉपी संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

5 जून, 2026

मधुरिमा

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।